संख्याः 129154/42857/FCD-IRFC/FSFC/5/ 2022
I/129154/2023

प्रेषक,

**डा0 अहमद इकबाल,**
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
शहरी विकास निदेशालय,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

**वित्त अनुभाग–1 (वि.आ.निदे.)** **::देहरादून:: दिनांक: 15 जून, 2023**

**विषयः–** **पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में नगर पालिका परिषद–अल्मोड़ा के सेवा निवृत्त कार्मिकों के अवशेष देयकों के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम लेखा परीक्षा विभाग (ऑडिट) द्वारा नगर पालिका परिषद–अल्मोड़ा के सेवा निवृत्त कार्मिकों के 31 मार्च, 2022 तक पेंशन, ऐरियर, उपादान एवं अवकाश आदि की बकाया सत्यापित कुल ₹1,58,80,639/– (₹ एक करोड़ अट्ठावन लाख अस्सी हजार छः सौ उन्तालीस मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023–24 में संबंधित सेवा निवृत्त कार्मिकों को भुगतान किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/XXVII(6)/ 430/ एक/ 2008/2019, दिनांकः 29 मार्च, 2019 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा कोषागार के माध्यम से धनराशि संबंधित निकाय को तत्काल अंतरित की जायेगी। किसी भी दशा में निदेशालय स्तर पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी।
2. उपर्युक्त धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में नगर पालिका परिषद–अल्मोड़ा के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की 31 मार्च, 2022 तक पेंशन, ऐरियर, उपादान एवं अवकाश की अवशेष देयता ₹1,58,80,639/– का लेखा परीक्षा द्वारा किये गये सत्यापन के आधार पर अवमुक्त की जा रही है।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग नगर पालिका परिषद–अल्मोड़ा द्वारा 31 मार्च, 2022 तक पेंशन, ऐरियर, उपादान एवं अवकाश की अवशेष देयता के भुगतान हेतु किया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए यह अवमुक्त की जा रही है।
5. 31 मार्च, 2022 के बाद पेंशन, ऐरियर, उपादान एवं अवकाश की अवशेष देयता हेतु कोई धनराशि स्वीकृति नहीं की जायेगी।
6. 31 मार्च, 2022 तक सेवा निवृत्त कार्मिकों के पेंशन, ऐरियर, उपादान एवं अवकाश की अवशेष देयताओं का भुगतान किया जायेगा, जिसकी कर्मचारीवार सूची वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक स्थिति में 31 जुलाई, 2023 तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 111469/9 (150)/ 2019 /xxvii(1)/2023, दिनांकः 31 मार्च, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।
10. अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।



Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 14/06/2023 12:46 PM

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्यय की अनुदान संख्या:07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–04–शहरी स्थानीय निकायों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान–56– सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 09-06-2023 19:16:02
(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

संख्याः 129154 /42857/FCD-IRFC/FSFC/5/ 2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, रिंग रोड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
7. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद–अल्मोड़ा।
9. शहरी विकास अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड–देहरादून।

(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।



Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 14/06/2023 12:46 PM